आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

12-12-2013

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

वाद संख्या–सी0आर0एम0–11 / 12–13

लालबाबु प्रसाद

बनाम

बिहार सरकार

यह अपील वाद श्री लालबाबु प्रसाद वल्द–स्व0 रामकुंवर पटेल, ग्राम–मौलनीया थाना–चनपटिया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के आदेश दिनांक 14.05.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है जिसके द्वारा अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति संख्या–22 / 2007 को तत्कालीक प्रभाव से रद् कर दिया गया है।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , पटना में एक रिट याचिका दायर किया गया था जिसका सी0डब्लू0जे0सी0 नं0– 1495 / 2012 हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2012 को आदेश पारित किया गया कि अपीलकर्ता को सर्वप्रथम अपील दायर करना चाहिए और अगर उन्हें वहाँ से सफलता नही मिलती है तो वे इस न्यायालय में आ सकते है। उक्त निदेश के आलोक में इस रिट याचिका का निष्पादित कर दिया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के आदेश दिनांक 14.05.2010 की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया गया है। जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया द्वारा अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को दिनांक 28.08.2009 को ही निलंबित किया गया था, तत्पश्चात अभिलेख को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में रखा गया। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है। तदोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया द्वारा अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को रद् कर दिया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलकर्ता का कहना है कि मात्र एक आरोप को आधार बनाकर

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

उनके अनुज्ञप्ति को रद् कर दिया गया है। आरोप यह है कि अपीलकर्ता द्वारा वी0पी0एल0 परिवार को आपूर्ति करेन हेतु अनाज के उठाव के लिए जनवरी–2009 से मार्च–2010 तक बैकड्राफ्ट जमा नही किया गया। इसके संबंध में अपीलकर्ता का कहना है कि उनकी लड़की की शादी 2009 में थी जिसके कारण बैंक ड्राफ्ट जमा नही कर सकें। बैंक ड्राफ्ट जमा नही करने का दूसरा कारण यह बताया गया है कि वर्ष 2009 में लोक सभा चुनाव के कारण बैंक में कर्मचारियों की कमी के वजह से बैंक ड्राफ्ट समय पर तैयार नही होने के कारण खाद्य निगम द्वारा बैंक ड्राफ्ट को स्वीकृत नही किया गया। जिसके कारण अनाज की आपूर्ति नही की जा सकी।

अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि उनकी कारण पृच्छा पर बिना सुनवाई किये उनके अनुज्ञप्ति को रद् कर दिया गया है। अंत में अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि जिस आरोप के आधार पर उनकी अनुज्ञप्ति को रद् किया गया है उसी आधार पर अन्य जनवितरण प्रणाली के दुकानदार सुरेश मिश्र एवं एकबाल प्रसाद राय की अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया था जिसे बाद में निलंबन से मुक्त कर दिया गया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 734, दिनांक 27.11.2013 द्वारा दिनांक 20.03.2010 को सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति की कार्यवाही की प्रति भेजी गयी है। कार्यवाही की सूची के क्रमांक 07/प पर अपीलकर्ता का नाम अंकित है। जिन पर आरोप लगाया गया है कि माह जनवरी–2009 से आठ माह का वी0पी0एल0 योजना का बैंक ड्राफ्ट जमा नही किया गया एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 की अवहेलना की है। अपीलकर्ता द्वारा श्री सुरेश मिश्र सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति में निलंबित करने से संबंधित आदेश की छाया प्रति के साथ निलंबन से मुक्त करने की बात प्रतिवेदित की गयी है। चयन समिति की कार्यवाही के अवलोकन से स्पष्ट है कि कंडिका–06 पर सुरेश मिश्र की अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्ति संबंधी प्रस्ताव भी चयन समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध कगजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा मात्र इस आधार पर अपीलकर्ता का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर

बेतिया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

दिया गया है कि चयन समिति द्वारा निलंबन से मुक्ति संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है। साथ ही अपीलकर्ता को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर भी नही दिया गया है। उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, ~~बगहा~~ के आदेश दिनांक 14.05.2010 को रदद् करते हुए वाद को रिमांड किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देते हुए सकारण आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

12/12

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

12/12

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया